चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 10.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 10.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व चैम्बर में फंसा 01 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

मैकू केवट उर्फ रामशरण निषाद पुत्र स्व0 सीताराम निवासी रानीपुर भट्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 301/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2. मु0अ0सं0 302/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली कर्वी
3. मु0अ0सं0 371/23 धारा 147,352,323,324,307 भादवि0 कोतवाली कर्वी
4. मु0अ0सं0 23/24 धारा 147,323,504,506 भदवि0 कोतवाली कर्वी
5. मु0अ0सं0 375/24 धारा 307,427, भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कर्वी
6. मु0अ0सं0 32/25 धारा 110,115(2),352,351(2) बीएनएस कोतवाली कर्वी
7. मु0अ0सं0 357/025 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट कोतवाली कर्वी

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व चैम्बर में फसा 01 अदद खोखा कारतूस बरामद

गिरफ्तारी का स्थान-दिनाँक व समय-

रानीपुर भट्ट तालाब के बंधे पर बने बेंच से,10.06.025,03.00 एएम बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.06.025 को वादी प्रेम शंकर पुत्र पुनीवा निवासी मई बस्ती पावर हाउस के सामने मुलायम नगर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 07.06.023 को वादी का पुत्र पारस अपने दोस्तों के साथ पावर हाउस के पास बैठा था तभी मैकू दादा भी वही पर आ गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अवैध तमंचे से फायर कर मेरे पुत्र पारस को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी इससे पूर्व में मैकू द्वारा मेरे लड़के पारस को लाठी डण्डों मारा गया था जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 357/025 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रभारी निरीक्षक द्वारा चौकी प्रभारी गल्ला मण्डी समिति उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह व उनकी टीम को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया।

आज दिनाँक 10.06.023 को उ0नि0 व उनकी टीम को मुखविर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आपके थाने पर पंजीकृत हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मैकू केवट रानीपुर भट्ट तालाब के बंधे पर बने बेंच पर बैठा हुआ है तथा कही भागने की फिराक में है यदि जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है और आलाकत्ल की बरामदगी हो सकती है। सूचना पर विश्वास कर त्वरित कार्यवाही कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचकर घेर घार कर बेंच पर बैठे अभियुक्त मैकू केवट उर्फ रामशरण निषाद पुत्र स्व0 सीताराम निवासी रानीपुर भट्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी ली गयी और हत्या करने का कारण पूंछा तो बताया कि पावर हाउस के पास खेत में अपने दोस्त पारस के साथ बैठकर खा पी रहा था खाते पीते ही आपस में ही वाद विवाद होने लगा तभी मैने अपने तमंचे से उसके पेट में गोली मारकर तमंचा लेकर भाग गया। अभियुक्त से फायर करने वाले तमंचे के बारे

में पूंछताछ की गयी तो बताया कि वह तमंचा बन्धोइन नदी देवी दायी मन्दिर के पीछे झाडियों के पास छुपा रखा हूं अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान व उसकी निशांदेही पर हत्या में इस्तेमाल आलाकत्ल/अवैध तमंचा 315 बोर व चैम्बर में फसा 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी गल्ला मण्डी समिति उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्री हर्षित मिश्रा

3.का० शिवपूजन यादव

(3).

दिनांक 09/06/2025 को समय करीब 11:00 बजे रामघाट सीतापुर लोहे पुल के पास एक अज्ञात शव मिला लोगों के द्वारा बताया गया कि यह 7-8 माह से रामघाट पर ही रहता था भिक्षा मांग कर खाता पीता था और यही पर सोता था जिसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई है पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है शव पहचान का प्रयास किया जा रहा है हुलिया इकहरा बदन गेहुआ रंग,वृद्ध शरीर पकी हुई,लंबी दाढ़ी,आंख नाक कान कद काठी औसत उम्र करीब 65 वर्ष लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर पहनावा सफेद बनियान हल्का हरे रंग की टीशर्ट कतथई रंग का लोवर अंडरवियर रंग लाल छीटदार बाएं हाथ में काले रंग के धागे का कालावा धारण किए है।

(5). आज दिनाँक 10.06.025 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक चैंबर में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(6). आज दिनाँक 10.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में थाना बरगढ़ पुलिस टीम ने गुमशुदा लड़के को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 27.05.025 को श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी स्व0 लाल आदिवासी निवासिनी ग्राम ललई मौजा ओवरी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पर सूचना दी कि उनका लड़का सनी देऑल दिनांक 15/05/25 को घर से काम करने के लिए निकला था जो वापस घर नहीं आया है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ पर गुमशुदमी नं0 27 दर्ज की गयी थी। आज दिनाँक 10.06.025 को चौकी प्रभारी हरदीकला उ0नि0 श्री राधेश्याम व उनकी टीम द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से अथक प्रयास कर सकुशल लड़के को बरामद कर माँ के सुपुर्द किया। लड़के को पाकर माँ के चेहरे पर लौटी मुस्कान चित्रकूट पुलिस का धन्यवाद किया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को 10 लीटर कच्ची शराब व 41क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी व आरक्षी सचिन कुमार,आरक्षी संतोष कुमार द्वारा अभियुक्त देवराज केवट पुत्र चुन्ना निवासी मकरी पहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

(2). उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप व आरक्षी शुभम यादव द्वारा अभियुक्त बुद्धविलास पुत्र मैयादीन निवासी निवासी बुद्धनगर अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

(3). उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार सिंह थाना भरतकूप व आरक्षी होलिकेन्द्र द्वारा अभियुक्त राममोहन पुत्र रामसिया निवासी गोबरिया बुजुर्ग थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 19 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह मय हमराह का0 मृत्युन्जय पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 119/25 धारा 110/115(2)/324(2)/331(7)/351(3)/352 बीएनएस थाना पहाड़ी से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त 01. छोटू उर्फ भोला सोनी पुत्र सदल सोनी 02. दशरथ पुत्र सदल सोनी निवासीगण ग्राम नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।